ने ऊपर गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना के लिए 125 मिलियन डालर की सहायता प्रदान की है तथा दिसम्बर, 1986 तक का संवितरण 3.758 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ख) परियोजना को सितम्बर, 1984 से दिसम्बर, 1990 तक छः वर्ष की अवधि में क्रियान्वित करने का कार्यक्रम है। अनुमानित अवधि समाप्त होने की तारीख को आगे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) बुलन्दशहर, अलीगढ़ तथा एटा तीन जिलों को 43,000 हैक्टेयर सिंचाई लाभ प्राप्त होगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बाण सागर परियोजना

798. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बाण सागर परियोजना के निर्माण-कार्य में हुई गति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस पर अब तक कितनी धन-राशि व्यय हो चुकी है ; और

(ग) इसका सारा निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजघाट बांध

799. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **जल संसाधन** मंत्री 6 मार्च, 1987 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1215 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सिंचाई के हित में राजघाट बांध परियोजना के कार्यान्वयन में हुए असाधारण विलम्ब पर विचार करने के लिए गत वर्ष बेतवा नदी बोर्ड की कोई भी बैठक न बुलाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) वर्तमान गति से काम होने पर परियोजना का निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप इस परियोजना की अनुमानित लागत 123 करोड़ रुपए से बढ़ कर कितनी हो जाएगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) 1986-87 में बेतवा नदी बोर्ड की बैठक 9-2-1987 को बुलाई गई थी परन्तु यह हो नहीं सकी। बांध का निर्माण कार्य 1991-92 तक पूरा हो जाने की संभावना है। अद्यतन अनुमानित लागत (1985) 194 करोड़ रुपये है।

भूमि और जल संसाधनों के विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता

800. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि और जल संसाधनों के विकास संबंधी परियोजना के लिए सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से कितनी सहायता प्राप्त होने की संभावना है ; और

(ख) इससे उत्तर प्रदेश के किन-किन भागों को कितना लाभ मिलने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सहायता के अन्तर्गत, सितम्बर, 1983 से हिमालय जल विभाजक प्रबंध परियोजना चल रही है। इस परियोजना के लिए 7 वर्ष की अवधि के दौरान 65.50 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत में से

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सहायता 43.80 करोड़ रुपए होगी।

(ख) इस परियोजना में पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों में 3.12 लाख हैक्टेयर कुल क्षेत्र शामिल है। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर निम्नलिखित लाभ प्राप्त होने की संभावना है :—

1. ईंधन की लकड़ी के बागान	59000	हैक्टेयर
2. चारे के बागान	27800	हैक्टेयर
3. कृषि वानिकी	81000	हैक्टेयर
4 उद्यान कृषि विकास	5400	हैक्टेयर

इसके अतिरिक्त फसलों के बेहतर स्वरूप के अनुसरण, मृदा और जल संरक्षण, लघु सिचाई, भण्डारण, कुण्डों के विकास आदि के माध्यम से कृषि उत्पादन में भी वृद्धि की जाएगी। पशुधन सुधार कार्यक्रम भी सम्मिलित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

8701. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण सड़कों को पक्का करने के लिए और गांवों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य को अनुदान/ऋण के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की ;

(ख) इस धनराशि में से कितनी धनराशि का उपर्युक्त अवधि में उपयोग कर लिया गया ;

(ग) वाराणसी प्रमंडल की उन सड़कों के नाम क्या हैं जिनका निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार इस आबंटित धनराशि का उपयोग करके करा रही है तथा स्वीकृत धनराशि में से अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ; और

(घ) क्या पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से निर्माणाधीन सड़कों का निर्माण-कार्य चालू वर्ष के दौरान पूरा कर लिए जाने का विचार है ताकि इन सड़कों के लिए निर्धारित परिव्यय में वृद्धि न हो ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) सड़कों को पक्का करने सहित ग्रामीण संपर्क सड़कों का निर्माण कार्य मुख्य रूप से राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में किया जाता है तथा इसके लिए निधियां राज्य की योजनाओं में उपलब्ध कराई जाती हैं। तथापि, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मानदंडों के अनुरूप सड़कों के कार्यों को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के भाग के रूप में किए जाने की अनुमति है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों सहित विशिष्ट परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में निधियां स्वीकृत की जाती हैं, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का कोई क्षेत्र-वार आवंटन नहीं किया जाता है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम 15 अगस्त, 1983 से आरम्भ किया गया था और इसके आरम्भ होने से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश को 17869.64 किलोमीटर लम्बी सड़कों के निर्माण के लिए 178.78 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान, दिसम्बर, 1986 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 13940